



13 June, 2023

भारत-UAE व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता

संदर्भ : भारत-UAE व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (CEPA) की संयुक्त समिति की पहली बैठक सफलतापूर्वक आयोजित की गई।

- CEPA की प्रभावी निगरानी के लिए त्रैमासिक आधार पर तरजीही व्यापार डेटा के पारस्परिक आदान-प्रदान पर सहमति हुई।
- सेवाओं में व्यापार पर एक नई उप-समिति बनाई गई और MSMEs और स्टार्ट-अप्स पर ध्यान केंद्रित करते हुए B2B सहयोग तंत्र के रूप में UAE-भारत CEPA परिषद (UICC) की स्थापना की गई।
- विश्व व्यापार संगठन के मामलों पर विचारों का आदान-प्रदान किया गया, और विश्व व्यापार संगठन (MC13) का 13वां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन फरवरी 2024 में अबू धाबी में आयोजित होने वाला है।
- 2030 तक गैर-पेट्रोलियम व्यापार में 100 बिलियन अमरीकी डालर का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, वित्त वर्ष 2022-23 में द्विपक्षीय व्यापार पहले ही 84.84 बिलियन अमरीकी डालर तक पहुंच गया था।
- UAE को भारत के निर्यात ने 2022-23 में 12% की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की, जो 31.6 बिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुंच गया।
- जिन पहलों पर चर्चा की गई उनमें वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर, गिफ्ट सिटी में अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के कार्यालयों की संभावित स्थापना, UPI साझेदारी और प्रत्यक्ष रुपया-दिरहम व्यापार के लिए एक कुशल प्रणाली का विकास शामिल है।
- UAE ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और आपसी महत्व के विभिन्न क्षेत्रों में भारत के साथ सहयोग करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की।
- वाणिज्य विभाग द्वारा CII के साथ साझेदारी में आयोजित B2B कार्यक्रम में व्यापारिक समुदायों और दोनों देशों के वरिष्ठ अधिकारियों की सक्रिय भागीदारी देखी गई।

CEPA क्या है?

- व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (CEPA) एक प्रकार का मुक्त व्यापार समझौता है जिसमें सेवाओं, निवेश और अन्य क्षेत्रों में व्यापार सहित आर्थिक साझेदारी के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा शामिल है।
- CEPA वार्ता में व्यापार सुविधा, सीमा शुल्क सहयोग, प्रतियोगिता और बौद्धिक संपदा अधिकार जैसे विषय भी शामिल हो सकते हैं।
- मुक्त व्यापार समझौतों की तुलना में साझेदारी समझौते या सहयोग समझौते अधिक व्यापक हैं।
- CEPA विशेष रूप से व्यापार से संबंधित विनियामक मामलों को संबोधित करता है और इसमें एक समझौता शामिल है जो विनियामक मुद्दों से निपटता है।
- भारत ने दक्षिण कोरिया और जापान दोनों के साथ CEPA स्थापित किया है।

विभिन्न प्रकार के व्यापार समझौते

व्यापार समझौते दो या दो से अधिक देशों के बीच समझौते होते हैं जो व्यापार, वाणिज्य, पारगमन या निवेश के लिए विशिष्ट शर्तें स्थापित करते हैं, जिसमें अक्सर परस्पर लाभकारी रियायतें शामिल होती हैं। विभिन्न प्रकार के व्यापार समझौते मौजूद हैं:

- **मुक्त व्यापार समझौता (FTA):**
 - देश साझेदार देशों को तरजीही व्यापार शर्तें और टैरिफ रियायतें प्रदान करने के लिए सहमत हैं।
 - उत्पादों और सेवाओं की एक नकारात्मक सूची एफटीए शर्तों से बाहर की गई वस्तुओं को निर्दिष्ट करती है, जो इसे तरजीही व्यापार समझौते से अधिक व्यापक बनाती है।
 - भारत ने श्रीलंका जैसे देशों और आसियान जैसे व्यापारिक गुटों के साथ एफटीए पर बातचीत की है।
- **तरजीही व्यापार समझौता (PTA):**
 - साझेदार सहमत टैरिफ लाइनों पर शुल्क कम करके कुछ उत्पादों के लिए अधिमान्य प्रवेश अधिकार प्रदान करते हैं।
 - एक सकारात्मक सूची उन उत्पादों की पहचान करती है जो अधिमान्य पहुंच के योग्य हैं, कुछ वस्तुओं के लिए टैरिफ संभावित रूप से शून्य तक कम हो गए हैं।
 - भारत ने अफगानिस्तान के साथ एक पीटीए पर हस्ताक्षर किए।
- **व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता (CECA):**
 - आम तौर पर, केवल व्यापार शुल्क और व्यापार मात्रा प्रतिबंध (टीक्यूआर) दरों पर बातचीत करने पर ध्यान केंद्रित करता है।
 - कवरेज के मामले में CEPA जितना व्यापक नहीं है।
 - भारत ने मलेशिया के साथ CECA पर हस्ताक्षर किए हैं।
- **संरचना समझौता:**
 - व्यापार भागीदारों के बीच संभावित समझौतों के लिए गुंजाइश, प्रावधान और अभिविन्यास स्थापित करता है।
 - नए क्षेत्रों पर चर्चा के लिए मंच तैयार करता है और भविष्य के उदारीकरण के लिए समयरेखा की रूपरेखा तैयार करता है।
 - भारत ने पहले आसियान, जापान आदि के साथ ढांचागत समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं।

Face to Face Centres





➤ अर्ली हार्वेस्ट स्कीम (EHS):

- व्यापारिक साझेदारों के बीच FTA/CECA/CEPA के प्रारंभिक चरण के रूप में कार्य करता है।
- चल रही बातचीत के दौरान टैरिफ उदारीकरण के लिए विशिष्ट उत्पादों की पहचान करता है।
- एक विश्वास-निर्माण उपाय के रूप में कार्य करता है और जुड़ाव बढ़ाता है।
- उदाहरण के लिए, क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (आरसीईपी) की अर्ली हार्वेस्ट योजना लागू की गई है।

जीवन का अधिकार

संदर्भ : दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि जीवन के अधिकार में जातिगत भेदभाव की बाधाओं से मुक्त होने का अधिकार शामिल है।

जीवन का अधिकार क्या है?

- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 मानव जीवन और स्वतंत्रता के संरक्षण के क्षेत्र को शामिल करता है। यह निर्धारित करता है कि "कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा।"
- अनुच्छेद 21 के लिए, अदालतें "कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया" के साथ-साथ "कानून की उचित प्रक्रिया" पर भी गौर करती हैं।
- किसी व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता और सुरक्षा का अधिकार "मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा" (UDHR) के अनुच्छेद 3 में निहित है।
- "नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रसविदा" (ICCPR) का अनुच्छेद 6 प्रत्येक मनुष्य के लिए जीवन के निहित अधिकार को मान्यता देता है और जीवन के मनमाने वंचन के खिलाफ कानूनी सुरक्षा की आवश्यकता पर बल देता है।
- दुनिया भर के विभिन्न देशों के संविधान अपने कानूनी ढांचे के भीतर जीवन के अधिकार को शामिल करते हैं।

अनुच्छेद 21 का दायरा: न्यायालय ने पहले के निर्णयों के आधार पर अनुच्छेद 21 में शामिल अधिकारों की एक सूची दी। उनमें से कुछ हैं:

- एकान्तता का अधिकार
- विदेश जाने का अधिकार
- आश्रय का अधिकार
- एकान्त कारावास के विरुद्ध अधिकार
- सामाजिक न्याय और आर्थिक सशक्तिकरण का अधिकार
- हथकड़ी लगाने के खिलाफ अधिकार
- हिरासत में मौत के खिलाफ अधिकार
- विलंबित निष्पादन के विरुद्ध अधिकार
- डॉक्टरों की सहायता
- सार्वजनिक फाँसी के विरुद्ध अधिकार
- सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण
- प्रदूषण मुक्त जल और वायु का अधिकार
- पूर्ण विकास के लिए प्रत्येक बच्चे का अधिकार
- स्वास्थ्य और चिकित्सा सहायता का अधिकार
- शिक्षा का अधिकार
- विचाराधीन कैदियों का संरक्षण

न्याय प्रक्रिया के अनुसार	कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया
ईसाफ, न्याय और व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है।	कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करने पर ध्यान केंद्रित करता है।
निष्पक्ष और न्यायिक प्रणाली और एक्सेस की विचारधारा की आवश्यकता होती है।	कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के साथ संपर्क करने पर जोर देता है।
कानूनी और प्रक्रियात्मक दोनों पहलुओं पर लागू होता है।	मुख्य रूप से कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के साथ संबंधित होता है।
प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को शामिल करता है, जिसमें सूचना, सुनवाई और कानूनी प्रतिनिधित्व का अधिकार शामिल होता है।	कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निर्धारित कानूनी प्रतिबंधों पर निर्भर करता है।
राज्य के हित और व्यक्तियों के अधिकारों के बीच संतुलन की आवश्यकता होती है।	प्रक्रिया की कानूनीता और मान्यता को महत्व देता है बिना परिणाम की तत्कालीन उचितता को ध्यान में लेने के बिना।
मूलभूत अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ संरक्षण प्रदान करता है।	स्थापित कानूनी नियमों और विनियमों के अनुरूपता की सुनिश्चित करता है।
इसे आमतौर पर सामान्य कानूनी प्रथाओं पर आधारित विधि प्रणाली वाले कानूनी प्रणाली में पाया जाता है।	यह आमतौर पर सिविल कानूनी प्रणाली से जुड़ा होता है।
जीवन, स्वतंत्रता और सुरक्षा के अनिश्चितताओं के खिलाफ संरक्षण प्रदान करता है।	यह स्थापित कानूनी नियमों का पालन करने के माध्यम से स्थापित कानूनी अभिप्रेतता की सुनिश्चित करता है।

जीवन के अधिकार से संबंधित महत्वपूर्ण मामले

- **ए.के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य (1951):** अनुच्छेद 21 संरक्षण केवल कार्यकारी कार्रवाई के खिलाफ उपलब्ध है, और विधायिका कानून के माध्यम से किसी व्यक्ति को उनके अधिकारों से वंचित कर सकती है।
- **मेनका गांधी बनाम यूओआई (1978):** अनुच्छेद 21 संरक्षण कार्यकारी और विधायी कार्रवाई दोनों के खिलाफ उपलब्ध है। विधायिका कानून के माध्यम से किसी व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं कर सकती है।
- **खड़क सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य:** निजता का अधिकार जीवन के अधिकार में शामिल है।
- **सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन:** सजायापता व्यक्तियों के लिए घातक कफ असंवैधानिक है क्योंकि यह अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करता है।
- **प्रेम शंकर शुक्ला बनाम दिल्ली प्रशासन:** हथकड़ी लगाना असंवैधानिक है और अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करता है।

Face to Face Centres






13 June, 2023

- **मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य (1992):** जीवन के अधिकार में शिक्षा का अधिकार भी शामिल है।
- **उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (1993):** शिक्षा का अधिकार 6-14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए एक मौलिक अधिकार है।
- **सतवंत सिंह बनाम ए.पी.ओ. दिल्ली:** अनुच्छेद 21 के तहत विदेश जाने का अधिकार मौलिक अधिकार है।
- **सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य:** प्रदूषण मुक्त हवा का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है।
- **ओलेगा टेलिस बनाम बंबई नगर निगम (बीएमसी):** आजीविका का अधिकार अनुच्छेद 21 में शामिल है।
- **लछमा देवी बनाम भारत के महाधिवक्ता:** सार्वजनिक स्थान पर मौत की सजा का निष्पादन असंवैधानिक है और अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करता है।
- **हुसैनारा खातून बनाम बिहार राज्य:** अनुच्छेद 21 के तहत आरोपी व्यक्तियों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता एक मौलिक अधिकार है।
- **रुदल शाह बनाम बिहार राज्य:** अवैध कारावास का मुआवजा कैदियों का मौलिक अधिकार है।
- **चंद्रिमा दास बनाम रेलवे अध्यक्ष बोर्ड:** अनुच्छेद 21 के तहत बलात्कार पीड़ितों के लिए मुआवजा एक मौलिक अधिकार है।

बेटेलज्यूज

संदर्भ: जापान और स्विट्जरलैंड के शोधकर्ताओं ने हाल ही में बताया कि तारा अपने अंतिम कार्बन दहन चरण में है।

- भारतीय खगोल विज्ञान में चमकीले लाल तारे बेटेलज्यूज को " थिरुवथिराई " या " आर्द्रा " के रूप में जाना जाता है।
- बेटेलज्यूज ओरियन नक्षत्र में स्थित है और आसानी से देखा जा सकता है।
- जापान और स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिकों द्वारा हाल ही में किए गए शोध में बेटेलज्यूज के स्पंदन पर ध्यान केंद्रित किया गया, जो इसके आवधिक संकुचन और विस्तार को संदर्भित करता है।
- अध्ययन से पता चला कि बेटेलज्यूज वर्तमान में अपने अंतिम कार्बन-बर्निंग चरण में है।
- बेटेलज्यूज जैसे बड़े सितारों में, कार्बन-दहन चरण आमतौर पर केवल कुछ सौ वर्षों तक रहता है।
- इस चरण के बाद, तारा अपने जीवन के अंत तक पहुँच जाता है और एक सुपरनोवा विस्फोट से गुजरता है।
- सुपरनोवा में पतन कार्बन दहन चरण समाप्त होने के कुछ महीनों के भीतर होता है।




कार्बन दहन क्या है?

कार्बन दहन वह अवस्था है जिस पर एक तारा अपने अन्तर्भाग में कार्बन का संलयन करता है, जिससे नियोन और मैग्नीशियम जैसे भारी तत्व बनते हैं। कार्बन दहन अंततः उन सभी तारों में होता है जो लगभग आठ से अधिक सौर द्रव्यमान के होते हैं।

यह दो तरह से होता है:

1. कार्बन-कार्बन संलयन
2. हीलियम कब्जा



बेटेलज्यूज क्या है?


- बेटेलज्यूज एक लाल अतिविशाल तारा है जिसे वर्णक्रमीय प्रकार M1-2 के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- यह नंगी आँखों से दिखने वाले सबसे बड़े तारों में से एक है।
- रात के आकाश में सितारों के बीच, बेटेलज्यूज आमतौर पर रिगेल के बाद ओरियन के तारामंडल में दसवां सबसे चमकीला और दूसरा सबसे चमकीला होता है।
- बेटेलज्यूज का एक विशिष्ट लाल रंग है और यह एक अर्ध-नियमित परिवर्तनशील तारा है, जिसका अर्थ है कि समय के साथ इसकी चमक में उतार-चढ़ाव होता है।
- इसकी स्पष्ट परिमाण, चमक का एक उपाय, +0.0 और +1.6 के बीच भिन्न हो सकता है, जिससे यह व्यापक श्रेणी वाला पहला-परिमाण तारा बन जाता है।
- निकट-अवरक्त तरंग दैर्ध्य में, बेटेलज्यूज रात के आकाश में सबसे चमकीला तारा है।
- इसे α -ओरियोनिस, अल्फा ओरियोनिस या α ओरी के रूप में नामित किया गया है।
- बेटेलज्यूज का आकार इतना विशाल है कि यदि यह हमारे सौर मंडल के केंद्र में स्थित होता, तो इसकी सतह क्षुद्रग्रह बेल्ट से आगे निकल जाती और बुध, शुक, पृथ्वी और मंगल की कक्षाओं को घेर लेती।
- बेटेलज्यूज के द्रव्यमान का अनुमान सूर्य के दस से थोड़ा कम से लेकर बीस गुना से थोड़ा अधिक है।

Face to Face Centres





13 June, 2023



NEWS IN BETWEEN THE LINES

भारत-नॉर्वे अंतरिक्ष सहयोग



संदर्भ: हाल ही में, भारत और नॉर्वे ने वर्ष 1997 में स्वालबार्ड से एक महत्वपूर्ण रॉकेट लॉन्च पर सहयोग किया, अंतरिक्ष क्षेत्र के संबंधों को मजबूत किया तथा इसरो द्वारा सामना की गई तकनीकी चुनौतियों पर नए निष्कर्ष निकाले।

भारत-नॉर्वे अंतरिक्ष सहयोग:

भारत-नॉर्वे अंतरिक्ष सहयोग अंतरिक्ष अन्वेषण, अनुसंधान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) और नॉर्वेजियन स्पेस एजेंसी (NSA) के बीच सहयोगी प्रयासों को संदर्भित करता है।

भारत-नॉर्वे रॉकेट प्रक्षेपण:

भारत-नॉर्वे रॉकेट लॉन्च भारत और नॉर्वे के बीच एक सहयोगी अंतरिक्ष मिशन को दर्शाता करता है जिसमें स्वालबार्ड, नॉर्वे से एक रॉकेट प्रक्षेपित किया गया था।

उद्देश्य:

प्रक्षेपण का उद्देश्य वैज्ञानिक प्रयोग करना और वायुमंडलीय अनुसंधान और अंतरिक्ष अन्वेषण से संबंधित डेटा एकत्र करना था।

मिशन में इस्तेमाल रॉकेट:

प्रक्षेपण के लिए रोहिणी आरएच300 एमकेआईआई (RH300 MkII) परिष्कृत रॉकेट का उपयोग किया गया था।

प्रक्षेपण के दौरान इसरो के सामने चुनौतियां:

प्रक्षेपण के दौरान इसरो को तकनीकी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिसमें रॉकेट के ऑनबोर्ड उपकरणों और टेलीमेट्री सिस्टम के मुद्दे शामिल थे, जिसने वैज्ञानिक डेटा के संग्रह को प्रभावित किया।

रोहिणी RH300 MkII रॉकेट का नाम इस्बजोर्न1 क्यों रखा गया?

रोहिणी RH300 MkII रॉकेट का नाम बदलकर Isbjorn1 (ध्रुवीय भालू 1) रखा गया था, जो कि ध्रुवीय भालू की आबादी के लिए जाने जाने वाले स्वालबार्ड से रॉकेट लॉन्च करने में भारत और नॉर्वे के बीच सहयोगी प्रयास का प्रतीक है।

प्रक्षेपण का परिणाम:




प्रक्षेपण के परिणाम में अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण नए निष्कर्ष शामिल थे। मिशन ने ध्रुवीय क्षेत्र में तटस्थ हवाओं के अध्ययन और परमाणु ऑक्सीजन के व्यवहार सहित पृथ्वी के वायुमंडल पर मूल्यवान डेटा प्रदान किया। इस अंतरिक्ष अनुसंधान परियोजना में भारत और नॉर्वे के बीच सहयोग ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत किया और इस क्षेत्र में भविष्य के सहयोग की नींव रखी।

Face to Face Centres





13 June, 2023

<p>डिएगो गार्सिया द्वीप</p> 	<p>संदर्भ: हाल ही में, दर्जनों प्रवासियों ने अपनी संकटग्रस्त मछली पकड़ने वाली नाव से बचाए जाने के बाद खुद को हिंद महासागर में डिएगो गार्सिया द्वीप पर फंसे हुए पाया है।</p> <p>डिएगो गार्सिया द्वीप: डिएगो गार्सिया द्वीप मध्य हिंद महासागर में स्थित एक कोरल एटोल और चागोस द्वीपसमूह का सबसे बड़ा सदस्य है।</p> <p>महत्व: यह द्वीप सामरिक महत्व रखता है क्योंकि यह एक प्रमुख सैन्य अड्डे, विशेष रूप से एक हवाई और नौसैनिक अड्डे की मेजबानी करता है, जो यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा संयुक्त रूप से संचालित होता है।</p> <p>मुख्य विशेषताएं:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ यह द्वीप ब्रिटिश हिंद महासागर क्षेत्र का हिस्सा है और इसमें एक महत्वपूर्ण अमेरिकी हवाई और नौसैनिक अड्डा है। ○ चागोस द्वीपसमूह यूनाइटेड किंगडम और मॉरीशस के बीच क्षेत्रीय विवाद का विषय रहा है। ○ वर्ष 1965 में, ब्रिटेन ने ब्रिटिश हिंद महासागरीय क्षेत्र की स्थापना करते हुए चागोस द्वीपों को मॉरीशस से अलग कर दिया। ○ यूके ने वर्ष 1966 में डिएगो गार्सिया को अमेरिका को पट्टे पर दे दिया, जिससे द्वीप के निवासियों को जबरन हटाया गया। <p>वर्ष 2019 में, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) ने मॉरीशस के विऔपनिवेशीकरण और चागोस द्वीपसमूह के यूके के प्रशासन को समाप्त करने के लिए एक सलाहकार राय जारी की</p>
<p>पोशन ट्रेकर ऐप</p> 	<p>संदर्भ: हाल ही में, पोषण ऐप के माध्यम से 57000 से अधिक प्रवासी श्रमिकों को एक राष्ट्र एक आंगनवाड़ी कार्यक्रम के तहत पंजीकरण कराया गया।</p> <p>पोषण ट्रेकर ऐप: पोशन ट्रेकर ऐप प्रवासी श्रमिकों को आंगनवाड़ी सेवाएं प्रदान करने में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच समन्वय की सुविधा प्रदान करता है। यह ऐप आंगनवाड़ी गतिविधियों, सेवा वितरण और लाभार्थी प्रबंधन का व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है।</p> <p>उद्देश्य: वन नेशन, वन आंगनवाड़ी कार्यक्रम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि छह साल से कम उम्र के बच्चों और गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को उनके निवास स्थान की परवाह किए बिना सरकारी लाभ और सहायता मिलती रहे।</p> <p>मुख्य विशेषताएं:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ केंद्र और राज्य सरकारों के बीच समन्वय: ऐप लाभार्थियों को लाभ की डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच समन्वय की सुविधा प्रदान करता है। ➤ आंगनवाड़ी केंद्र की गतिविधियां: ऐप आंगनवाड़ी केंद्रों पर आयोजित गतिविधियों का एक दृश्य प्रदान करता है, जो कि बाल (छोटे बच्चे) देखभाल केंद्र हैं। ➤ लाभार्थी प्रबंधन: ऐप गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और छह वर्ष से कम उम्र के बच्चों सहित लाभार्थियों का प्रबंधन और ट्रैक करता है, यह सुनिश्चित करता है कि उन्हें आवश्यक सेवाएं प्राप्त हों। ➤ डिजिटलकरण और स्वचालन: यह श्रमिकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले भौतिक रजिस्ट्रों को डिजिटलाइज और स्वचालित करता है, उनके काम की गुणवत्ता में सुधार करता है और कागजी कार्रवाई को कम करता है। ➤ कुशल सेवा वितरण: आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM) के माध्यम से स्मार्टफोन प्रदान किए जाते हैं, जिससे वे कुशलतापूर्वक सेवाएं प्रदान कर सकें। ➤ प्रशिक्षण और सहायता: आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को ऐप का उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है, और तकनीकी सहायता प्रदान करने और ऐप के कामकाज से संबंधित किसी भी मुद्दे को हल करने के लिए प्रत्येक राज्य में नोडल व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता है। ➤ पोशन अभियान के तहत पंजीकृत लाभार्थी: वर्ष 2018 में पोशन अभियान के लॉन्च के बाद से कुल 10.6 करोड़ लाभार्थी पंजीकृत किए गए हैं। इन लाभार्थियों में 47.6 लाख स्तनपान कराने वाली माताएं, 7.48 करोड़ गर्भवती महिलाएं और शेष लाभार्थी बच्चे शामिल हैं।
<p>होमो नलेदी</p> 	<p>संदर्भ: हाल ही में, बड़े नए शोध में दावा किया गया है कि छोटे दिमाग वाले होमो नलेदी ने रॉक कला बनाई और मृतकों को दफन कर दिया।</p> <p>मुख्य विशेषताएं:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ होमो नलेदी, एक विलुप्त मानव प्रजाति, दक्षिण अफ्रीका की राइजिंग स्टार गुफा प्रणाली में खोजी गई थी, जिसमें 15 से अधिक व्यक्ति पाए गए थे। ➤ हाल के अध्ययनों का दावा है कि होमो नलेदी ने जानबूझकर दफनाने का अभ्यास किया और उन्नत संज्ञानात्मक क्षमताओं का संकेत देते हुए रॉक कला का निर्माण किया। ➤ जानबूझकर दफनाने के लिए प्रस्तुत साक्ष्य स्थापित मानदंडों को पूरा करने में विफल रहता है, जैसे शारीरिक संरक्षण और खुदाई वाले गड्ढे। ➤ कथित रॉक कला में विश्वसनीय डेटिंग का अभाव है और संभावित रूप से बाद की तारीख में किसी अन्य प्रजाति के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। <p>चूल्हों के दावों और राइजिंग स्टार गुफा में आग के उपयोग के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान के माध्यम से आगे की जांच और पुष्टि की आवश्यकता है।</p>





13 June, 2023

अनाक क्रैकटाऊ ज्वालामुखी विस्फोट



संदर्भ: इंडोनेशिया के अनाक क्रैकटाऊ ज्वालामुखी में हाल ही में एक महत्वपूर्ण विस्फोट हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप राख 3 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक पहुंच गई है।

अनाक क्रैकटाऊ ज्वालामुखी और इसका ऐतिहासिक महत्व:

- अनाक क्रैकटाऊ पौराणिक क्रैकटाऊ ज्वालामुखी का भाग है, जो वर्ष 1883 में फूटा था और इसके दूरगामी वैश्विक परिणाम हुए थे।
- वर्ष 2018 में अनाक क्रैकटाऊ के विस्फोट ने एक विनाशकारी सूनामी का कारण बना, जिससे यह ज्वालामुखी के पतन के बाद से सबसे लंबा विस्फोट हो गया जिसने आपदा को जन्म दिया।

स्थान:

जावा और सुमात्रा द्वीपों के बीच इंडोनेशिया के सुंडा जलडमरूमध्य में स्थित अनाक क्रैकटाऊ ज्वालामुखी को हाल ही में हुए विस्फोट के कारण प्रमुखता मिली है।

सुंडा जलसंधि:

सुंडा जलडमरूमध्य, जहां अनाक क्रैकटाऊ स्थित है, जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ने वाले एक महत्वपूर्ण जलमार्ग के रूप में कार्य करता है।

जलडमरूमध्य कई ज्वालामुखीय द्वीपों का केंद्र है, जो क्षेत्र की भूगर्भीय गतिविधि पर जोर देता है।

"अनाक क्रैकटाऊ" नाम का महत्व:

"अनाक क्रैकटाऊ" नाम का महत्व है क्योंकि इसका अनुवाद "क्रैकटाऊ के बच्चे" के रूप में किया गया है। यह ज्वालामुखीय द्वीप के प्रसिद्ध क्रैकटाऊ ज्वालामुखी से संबंध का प्रतीक है, जिसे क्रैकटाओआ के नाम से भी जाना जाता है

Face to Face Centres

